न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रूगनाथाराम पुत्र श्री भूराराम कौम–बिश्नोई, निवासी–हरिपुरा नैणों का वास सरवाना, तहसील व जिला–सांचौर, (राजस्थान)		1 केली पत्नी भुराराम 2 प्रकाश कुमार पुत्र श्री भुराराम 3 रामलाल पुत्र भूराराम 4 श्रवण कुमार पुत्र भूराराम 5 सोहनलाल पुत्र भूराराम जातियान–बिश्नोई, निवासीगण– हरिपुरा नैणों का वास सरवाना, तहसील व जिला सांचौर, (राजस्थान) 6 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– **10.03.2021**

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद सूचना (तामील) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :– 25.07.2024

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा हरिपुरा के खेत खसरा संख्या 556, 551, 603/1519, 605, 606, 607, 614, 625, 627, 628 जुमले रकबा 22.78 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आई हुई है उक्त सहकाश्तकारों की आपसी सहमति से पारिवारिक एवं भाईयों बंटवाड़ा के अनुसार खसरा संख्या 607 रकवा 3.72 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बंट व हिस्से में आई। उक्त बंटवाड़े की रूह से नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 22.05.2[illegible] [illegible] किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की [illegible] गई जो बदस्तुर है। मौजा हरिपुरा नैणों का वास सरवाना के खेत खसरा संख्या [illegible] रकबा 3.72 हैक्टेयर वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्तसूदा आया हुआ है। वादी के पिता भूराराम, वादी के दादा रूपा के जीते जी काल में ही स्वर्गवास हो गया था। स्व. भूराराम के जायन्दा वारिसान एवं उतराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

वादी के दादा रूपा के फौत हो जाने पर एवं रूपा के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 95 में वादी रूगनाथ के बजाय गणपतलाल गलत स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में वादी रूगनाथ के बजाय गलत नाम गणपतलाल के नाम की खातेदारी दुरस्ती गलत रूप से कर दी गई, जबकि वादी का सही नाम रूगनाथ है। रूपा के फौतेदगी नामान्तकरण में वादी का नाम गणपतलाल की बजाय रूगनाथ दर्ज कर खातेदारी गणपत की बजाय रूगनाथ के नाम की सही दुरस्ती की जानी विधिसम्मत है जबकि स्व. भूराराम के गणपतलाल नाम से कोई जायन्दा पुत्र नहीं है न ही इस नाम से कोई व्यक्ति है। वादी स्व. भूराराम का जायन्दा पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से मौजा हरिपुरा नैणों का वास सरवाना के खेत खसरा संख्या 607 रकबा 3.72 हैक्टेयर आराजी में वादी का हिस्सा एवं बंट आया होने से वादी को वादी के बंट एवं हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार है।

वादी का पिता भूराराम का स्वर्गवास वादी के दादा रूपा से पहले हो गया था एवं रूपा का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 95 में वादी का नाम भूलवंश रूगनाथ के बजाय गणपतलाल लिख कर फौतेदगी नामान्तरकरण गलत स्वीकार हो जाने से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रूगनाथ के बजाय गलत नाम गणपतलाल के नाम गलत दुरस्ती हो गयी। मौजा हरिपुरा नैणों का वास सरवाना के खसरा संख्या 607 रकबा 3.72 हैक्टेयर में वादी का नाम रूगनाथ के बजाय गणपतलाल गलत नाम से खातेदारी भूलवंश गलत दर्ज हो गई है। वादी का उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी में गणपतलाल के बजाय सही रूगनाथराम के नाम की दुरस्ती करवाने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता धवलचन्द विश्नोई ने जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाव पेश न करने की सूरत में जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद को स्वीकार करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादी भूराराम का पुत्र है तथा उसके पिता भूरा वादी के दादा रूपा से पहले फौत हो चुका था तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा हरिपुरा नैणों का वास में खेत खसरा संख्या 556, 551, 603/1519, 605, 606, 607, 625, 627, 628 जुमले रकबा 22.78 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें आपसी बंटवाड़ा एवं भाई बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 607 रकबा 3.72 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बंट में आई तथा उक्त बंटवाड़ा अनुसार नामान्तरकरण संख्या 163 स्वीकृत किया जा[illegible]म राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की गई तथा दादा रूपा के [illegible] संख्या 95 भरते वक्त भूलवंश वादी का नाम रूगनाथ [illegible] लिख दिया गया जो गलत है जवकि गणपतलाल का नाम भुराराम के कोई पुत्र नहीं है [illegible] वादी का सही नाम रूगनाथ है तमाम सरकारी दस्तावेजात् में वादी का नाम रूगनाथराम पुत्र भूराराम दर्ज है अतः वाके सरहद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

मौजा हरिपुरा नैणों का वास में खेत खसरा संख्या 607 रकबा 3.72 हैक्टेयर भूमि में गणपतलाल पुत्र भूराराम की बजाय रूगनाथराम पुत्र भूराराम सुधारा जाकर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सहखातेदारान् द्वारा वाद को स्वीकार करने से तथा वादी द्वारा वाद में पेश अंकतालिका परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र इत्यादि का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी का सही नाम रूगनाथराम पुत्र भूराराम है तथा वादी का नाम गणपतलाल लिखा गया है वह भूलवंश व त्रुटिवंश लिखा जाना प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा हरिपुरा नैणों का वास में स्थित खेत खसरा संख्या 607 रकबा 3.72 हैक्टेयर भूमि में गणपतलाल पुत्र भूराराम 1/6 हिस्सा जाति–बिश्नोई, के स्थान पर रूगनाथराम पुत्र भूराराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–हरिपुरा नैणों का वास के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इस आशय की पृथक से तहसीलदार सांचौर के नाम तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner